न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA149 Kamla etc Vs Manoharlal etc

1. कमला पत्नी दलाराम मेघवाल
2. दलाराम पुत्र लिखमाराम मेघवाल
   निवासीगण ग्राम हिम्मतनगर, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. मनोहरराम पुत्र भूरा राम मेघवाल
   निवासी बारू, तहसील बाप
   जिला जोधपुर
2. रूकमा बेवा चेतनराम मेघवाल
3. पपुराम पुत्र चेतनराम मेघवाल
4. तेजाराम चेतनराम मेघवाल
5. रेवतराम पुत्र चेतनराम मेघवाल
6. छगनाराम पुत्र चेतनराम मेघवाल
7. दुर्गाराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल
   निवासीगण ग्राम हिम्मतनगर
   तहसील लोहावट, हाल निवासी दंतोर
8. भानुप्रकाश पुत्र मूलचंद सोनगरा,
   निवासी जोधपुर
9. दुर्गाराम पुत्र निम्बाराम मेघवाल
   निवासी ग्राम ढाडिया, तहसील शेरगढ
   जिला जोधपुर
10. देवाराम पुत्र हरजीराम मेघवाल
    निवासी रावतनगर, तहसील लोहावट
    जिला जोधपुर
11. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार लोहावट
    जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध फाइनल डिक्री एवं आदेश सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 17

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अप्रेल 2018 राजस्व वाद संख्या 31/2016 कमला वं अन्य बनाम मनोहरलाल इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
श्री प्रवीण कुमार सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री रमेशकुमार अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो से दस
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 11

नि र्ण य

दिनांक : 23 दिसम्बर, 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2016 में पारित निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 17 अप्रेल 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 26 सितम्बर 2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम हिम्मतनगर, पीलवा तहसील लोहावट के खसरा संख्या 1093 कुल रकबा 77 बीघा 16 विस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2016 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण-रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से उक्त वाद का जबाव पेश किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2017 को उक्त दावा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गई। उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2017 के खिलाफ किसी भी पक्षकार द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त निर्णय के अनुसरण में जब विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो गये तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाइनल डिक्री एवं निर्णय दिनांक 17 अप्रेल 2018 पारित किये गये जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियमों के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन की कार्यवाही गयी है। मौके पर विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा जाकर तैयार नहीं किये गये। 2018-19 (पूरक) आरआरटी 410 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में विभांजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की सूचना के संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा कोई नोटिस नहीं भिजवाया और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाइनल डिक्री जारी किये जाने के पूर्व विभाजन प्रस्ताव के संबंध में सुनवाई हेतु भी कोई नोटिस आदि नहीं दिया गया। जिससे अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 17 अप्रेल 2018 की समुचित समय में अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं हो पायी। 12 अगस्तम 2018 को रेस्पो. द्वारा अपीलाण्ट्स को जबरन बेदखल करने की धमकी देने और बंटवारा हो जाने की बात करने पर अपीलाण्ट्स द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर वस्तुस्थिति की जानकारी हुई और आवश्यक कार्यवाही कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य अपील पेश की गयी है जो जनकारकारी की दिनांक से अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपील मियाद बाधित होने से तदनुसार खारिज की जावे। अपीलाण्ड्स ने तकनीकी खामियों के अलावा अन्य कोई खामी इंगित नहीं की है कि प्राथमिक डिकी की पालना में किये गये भौतिक विभाजन में क्या विसंगति रही। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्राथमिक डिकी एवं निर्णय दिनांक 02 जनवरी 2018 के संबंध में कोई विवाद नहीं पाया जाता हैं। मगर उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिकी की पालना में जो विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए है, उनका अवलोकन करने पर पाया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव विधिवित मौके पर पक्षकारान की उपस्थितिं में संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं जाकर तैयार नहीं किये गये, अपितु पटवारी हलका द्वारा तैयार किये गये है। इतना ही नहीं, उक्त विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव पर उज्र-एतराज (यदि कोई हो) प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 17 अप्रेल 2018 पारित किये जाने के पूर्व राजस्थान काश्तकारी (राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित नहीं की गयी है।

चूंकि अपील गुणावगुण पर सारवान पायी जाती है, अतः मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर इसे खारिज किया जाना न्यायोचित एवं समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में धारित सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के परिपेक्ष्य में अन्दर मियादशुमार की जाती है तथा गुणावगुण पर आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 अप्रेल 2018 अपास्त किये जाते है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाकर नियमानुसार निर्णय एवं फाइनल डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर